

14/11/25

उभयपक्ष अनुपस्थित। न्यायालय समय में कई बार
आवाज लगवाने के बाद भी कोई हाजिर नहीं
आया। अतः वाइफ़ / प्रा० पत्र अदम हाजिर एवं
अदम पैरवी में इसी स्तर पर खारिज किया जाता
है। पत्रावली फैसला शुमार न. से कम की जाकर
दाखिल दफ्तर हो।

